प्रेस नोट, जनपद फतेहपुर
दिनांक- 26.04.2026

थाना मलवां पुलिस द्वारा गोवध के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से गोवंश से सम्बन्धित सिर का कंकाल, सूखी खाल, दो अदद छुरी, दो अदद बांका/चापड व एक अदद कुल्हाड़ी बरामद।

घटना कि संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 14.04.2026 को अजीत सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चक्की थाना मलवां जनपद फतेहपुर के द्वारा सूचना दी गयी कि भैसाही चौराहा पर एक व्यक्ति एक गौवंश (बैल) गौकसी करने के इरादे से ले जा रहा है। इस सूचना थाना मलवा पुलिस द्वारा संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को एक अदद बैल के साथ पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में अपना नाम कुलदीप पुत्र विनोद निवासी झाऊ मेदनीपुर थाना मलवां जनपद फतेहपुर बताया। उसके कब्जे से बरामद बैल के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त बैल उसने अपने साथी शमीम उर्फ शामिन पुत्र राजा निवासी ग्राम सराय खरगू के साथ मिलकर ग्राम बैरमपुर निवासी रामवरन पुत्र रामलाल से ₹14,000/- में खरीदा था तथा वह उक्त बैल को शमीम के पास गौकशी हेतु ले जा रहा था, जिसके एवज में उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता था। अभियुक्त के मोबाइल से शमीम से वार्ता कराई गई, जिस पर शमीम मौके के पास आया, परंतु पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल मोड़कर फरार हो गया। बरामद बैल के संबंध में विक्रेता/स्वामी रामवरन को मौके पर बुलाया गया तथा बैल को उसकी सुपुर्दगी में दिया गया। जांच-पड़ताल एवं स्थानीय जानकारी में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। दिनांक 21.04.2026 को उ0नि0 यश करन सिंह द्वारा थाना मलवा पर कुलदीप पुत्र विनोद झाऊमेदनीपुर थाना मलवा जनपद फतेहपुर एवं शमीम उर्फ शांमिन पुत्र राजा निवासी सराय खरगू थाना मलवा जनपद फतेहपुर के विरूद्ध मु0अ0सं0 80/2026 धारा 3/5 क/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरणः- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.04.2026 को मु0अ0सं0 80/2026 धारा 3/5क/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित मुकदमें में प्रभावी पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर सराय खरगू पुलिया के पास से वांछित अभियुक्त शमीम उर्फ शामिन पुत्र राजा निवासी सराय खरगू थाना मलवा जनपद फतेहपुर उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1.शमीम उर्फ शामिन पुत्र राजा निवासी सराय खरगू थाना मलवा जनपद फतेहपुर उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1.गोवंश से सम्बन्धित सिर का कंकाल

2.सूखी खाल व दो अदद छूरी

3.दो अदद बांका/चापड़

4.एक अदद कुल्हाड़ी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सूरज सिंह थाना मलवा जनपद फतेहपुर।
2. का0 सचिन चौधरी
3. का0 मंजीत सोनकर
4. का0 भीम प्रकाश